बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 265/2019 (499/15) (179/18)
दायर दिनांक :– 22.07.2015

अनवान

श्रीमति प्रेम कंवर बेवा सोभाग सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

1. श्री तेजसिंह पिता कजोड सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री भंवर सिहं पिता सोभाग सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
3. श्री उमराव सिंह पिता जतन सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
4. श्री भूरसिंह पिता मूल सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
5. श्री नन्द सिंह पिता मूल सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
6. श्री भरत सिंह पिता जैत सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
7. श्रीमति चन्द्र कंवर बेवा छगन सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
8. श्री भवानी सिंह पिता छगन सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
9. श्री राजेन्द्र सिंह पिता छगन सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
10. श्री उंकार सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
11. श्री लक्ष्मण सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
12. श्री शम्भु सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
13. सुश्री कैलाश कंवर पिता गुलाब सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
14. श्री उमराव सिंह पिता संग्राम सिंह राजपूत नि. सबलपुरा तह. जहाजपुर
15. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अखलाक खान, एडवोकेट प्रार्थी,

:: **आदेश** :: दिनांक 03.03.2020

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम सबलपुरा प. ह. उलेला तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 14 रकबा 1.07 बीघा, आ.सं. 15 रकबा 2.18 बीघा, आ.सं. 16 रकबा 1.14 बीघा, आ.सं. 216 रकबा 5.17 बीघा कुल किता 4 रकबा 11.16 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सह खातेदारी से स्थित है। सह खातेदार अप्रार्थी सं. 2 से 14 को प्रार्थी नही बनने से अप्रार्थी बनाया है प्रार्थिया इनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहती हैं ग्राम सबलपुरा प. ह. उलेला में आ. सं. 13/3 रकबा 0.16 बीघा, आ.न 19 रकबा 3.01 बीघा, कुल किता 2 रकबा 3.17 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 तेज सिंह के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पैरा सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमि के पडौस में स्थित हैं। प्रार्थिया की कृषि भुमि जो कि पैरा सं. में वर्णित हैं जिसमें आने व जाने का एक मात्र रास्ता अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:45:11

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

वर्णित अप्रार्थी तेजसिंह की कृषि भूमि पैरा सं.. 2 मे दर्ज है की मेड से होकर जाता है प्रार्थिया व इसके परिवार के सदस्य उक्त भूमि पर जाने के लिये इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं व यह रास्ता वर्षो पुराना हैं प्रर्थिया टेक्टर हल बेल ले जाने के लिये व कृषि यंत्र फसल चारा इत्यादि लाने के लिये इसी रास्ते का वर्षो से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं किन्तु दिनांक 10.07.15 को अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थिया व इसके परिवार के सदस्यो को उक्त रास्ते का उपयोग करने से मना करने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ व प्रार्थिया को राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ता अभिलिखित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना पडा। प्रार्थी भूमि की उचित कीमत मान्य न्यायालय के आदेशानुसार जमा कराने पर तैयार है। प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। इस कारण एक मात्र रास्ता को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करा राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने का हुक्म अप्रार्थीगण को प्रदान करावे व रास्ता की भुमि का प्रतिफल प्रार्थी न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु तत्पर हैं एव प्रार्थी व इस की सह खातेदार भूमि पेरा सं 1 में वर्णित तक जाने के लिये मुख्य मार्ग से जोडने हेतु पैरा सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 तेज सिंह की खातेदारी भूमि पेरा सं. 2 में वर्णित की मेड पर होकर 15 फीट चौडा रास्ते को राजस्व लटठा सीट में तरमीम करके राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुय। जिसे शामिल फाईल किया गया।

प्रार्थी की आराजी न. 14, 15, 16 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2020/174 दिनांक 10.02.2020 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिसमें कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सबलपुरा प. ह. उलेला तहसील जहाजपुर की आ.न. 14, 15, 16 में आने जाने के लिये रास्ता आ. न. 13/3 के मध्य रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 13/3 में से रकबा 0.04 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रभावित रकबा आ.न. 13/3 में से रकबा 0.04 बीघा की डी एल सी दर की दुगुनी 13460 रू. तैरह हजार चार सो साठ रू. बनते हैं जो मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को अदा करेंगे। एवं रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:45:11

C:nirnay//rider